

आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत प्रधानाचार्य को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व डी0डी0ओ0 तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान प्रदान शक्ति दी जाती है।	जिस संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान प्रदान शक्ति प्रदान की जाती है।	टिप्पणियाँ
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारांपुर (अम्बाला शहर)	श्री गुरमेल सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला कैंट	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारांपुर में वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पद रिक्त हैं, जब तक की वहाँ पर वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक श्री गुरमेल सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला कैंट को उनके कार्य के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारांपुर का अतिरिक्त चार्ज व डी0डी0ओ0 दी जाती है। इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरमाना	श्री दत्त, प्रधानाचार्य, वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खरखोदा	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरमाना में वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पद रिक्त हैं, जब तक की वहाँ पर वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक श्री दत्त, प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खरखोदा को उनके कार्य के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरमाना का अतिरिक्त चार्ज व डी0डी0ओ0 दी जाती है। इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

दिनांक 28.08.2015


एस0के गोयल,  
महानिदेशक,  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क्र० टीई/99/158/डीडीओ/ 1370

दिनांक: 2/9/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. सहायक निदेशक प्रशिक्षण।
3. नोडल अधिकारी (मुख्यालय पर)
4. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला कैंट व खरखोदा,
5. वर्ग अनुदेशक ईन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरमाना व भारांपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी।

  
सहायक निदेशक (प्रशासन-1)  
कृत: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।